



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 14, बुधवार, शाके 1937-अगस्त 5, 2015
Sravana 14, Wednesday, Saka 1937-August 5, 2015

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 5, 2015

जी.एस. आर. 59 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 158 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 में विद्यमान उप-नियम (2क) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (3) के पूर्व, निम्नलिखित नया उप-नियम (2ख) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(2ख) राज्य सरकार, सिंचाई परियोजना के विस्थापितों को, निःशुल्क अधिकतम 300 वर्ग गज के अध्यक्षीन रहते हुए उनके स्वामित्व वाले गृह स्थलों या गृह के समतुल्य आबादी भूमि आवंटित कर सकेगी।”

[संख्या एफ.4 (7) अमे/रूल/लीगल/पी.आर./2014/537]

राज्यपाल के आदेश से,
एस.के. सोलंकी,
संयुक्त शासन सचिव

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI
RAJ

(PANCHAYATI RAJ)

NOTIFICATION

Jaipur, August 5, 2015

G.S.R. 59 :- In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Third Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 158.- In rule 158 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, after the existing sub-rule (2A) and before the existing sub-rule (3), the following new sub-rule (2B) shall be inserted, namely :-

“(2B) The State Government may allot Abadi land to oustees of irrigation project, equal to the house sites or house owned by them subject to maximum of 300 sq. yards free of charge.”

[No.f.4(7)Am/Rule/Legal/PR/2014/537]

By order of the Governor,

S.K. Solanki,

Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.